01.08.2023

मॉस्को, रूस में दिनांक 19 से 22 सितंबर, 2023 तक आयोजित वर्ल्ड फूड मॉस्को - 2023 में भारतीय पवेलियन के डिजाइन और निर्माण-कार्य के लिए बोलियां जमा करने हेतु विवरण

1. आवश्यकताएं:

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण "एपीडा" द्वारा **"वर्ल्ड फूड मॉस्को - 2023"** में भाग लिया जा रहा है, जो भारतीय कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित एवं विपणन करने के लिए अपना पवेलियन स्थापित करेगा। "वर्ल्ड फूड मॉस्को - 2023" दिनांक 19 से 22 सितंबर, 2023 तक आयोजित किया जा रहा है (इसके बाद "इवेंट" के रूप में संदर्भित किया जाता है)।

इवेंट के लिए भारतीय पवेलियन का कुल क्षेत्रफल **150 वर्ग मीटर** है। (पवेलियन का लेआउट संलग्न है)।

2. बोलियों की प्रस्तुति हेतु पात्रता

निम्नलिखित न्यूनतम योग्यता रखने वाली एजेंसियों को आद्योपांत (टर्नकी) आधार पर इस इवेंट के लिए बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है:-

2.1 एजेंसियों को पंजीकृत व्यावसायिक इकाई / सेवा प्रदाता होना चाहिए। पंजीकरण क्रमांक, टैन / प्रत्यक्ष कर / आयकर / व्यापार कर / वैट / जी.एस.टी आदि के रूप में लागू तकनीकी बोली प्रारूप में उद्धृत किया जा सकता है और प्रमाण पत्र/प्रमाण की प्रति संलग्न की जाए। ये दस्तावेज़ केवल आवेदक संगठन के नाम पर होने चाहिए न कि समूह/सिस्टर संगठनों के नाम पर। दूसरे शब्दों में , प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों में आवेदक संगठन का नाम समान होना चाहिए।

2.2 भारत से बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स में पवेलियन की स्थापना के लिए आद्योपांत आधार पर परियोजनाओं को अवधारणा , डिजाइन और निष्पादित करने में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो।

2.3 सीए के अभ्यास द्वारा पिछले 5 वर्षों (लेखा परीक्षित / अलेखापरीक्षित) के दौरान किसी भी तीन वर्षों के लिए औसतन 5,00,00,000/- रुपये का औसत टर्नओवर।

2.4 नई दिल्ली में देय "एपीडा" के पक्ष में 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की राशि के लिए डीडी के रूप में ईएमडी बोली के लिए आवश्यक है , जिसके बिना बोली प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

2.5 एक स्व-प्रमाणित वचनबंध प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि उन्हें कभी भी किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैंकलिस्ट में नहीं डाला गया है और यह आज की तारीख तक लागू नहीं है।

कार्य-क्षेत्र

प्रस्तावित एपीडा पवेलियन को सामान्य क्षेत्र , सैम्पलिंग और सहभागी के क्षेत्र सहित पूरी तरह से लकड़ी की सामग्री का उपयोग करके डिजाइन किया जाएगा। इवेंट के लिए कार्य-क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल होंगे: -

I. थीम/कॉमन क्षेत्र (प्रदर्शक स्टॉल के अतिरिक्त):

- लगभग 30 वर्ग मीटर थीम क्षेत्र का आकार।
- क्षेत्र को ऊंचे लकड़ी के फर्श से अलग हो , जिसमें से 10 वर्ग मीटर क्षेत्र का उपयोग बाजरा आधारित उत्पादों और अन्य खाद्य उत्पादों की वेट सैम्पलिंग के लिए किया जाएगा और इसमें डिस्प्ले काउंटर, अलमारियां, माइक्रोवेव ओवन आदि होंगे।
- ग्लास, ऐक्रेलिक या लाइक्रा सामग्री पर बैकलिट कोलाज की पृष्ठभूमि वाला रिसेप्शन।
- एपीडा के लिए एक मीटिंग लाउंज को ग्लास/ऐक्रेलिक या समकक्ष सामग्री से कवर किया जाए।
- चाय/कॉफी, पीने के पानी , माइक्रोवेव ओवन , रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीज़र के प्रावधान के साथ पेंट्री सहित एक भंडारण क्षेत्र प्रदान किया जाए।
- सामान्य क्षेत्र में दस बैक लिट ग्राफिक पैनल कम से कम **6”X3” फीट साइज़** के प्रदान किए जाएं।
- पवेलियन’/स्टॉल, स्टॉल्स की ऊंचाई के निर्माण की शर्तों की अतिरिक्त के लिए। आप **https://world-food.ru/en/** का संदर्भ ले सकते हैं।
- पवेलियन पूरी तरह से पर्याप्त सफेद रोशनी के साथ उज्जवल रूप से प्रकाशित किया जाएगा जिससे पूरे पवेलियन में अंधेरे न हो।

- प्रदर्शित किए जाने वाले उत्पाद हैं चावल , मूंगफली, खाने के लिए तैयार भोजन/करी , ताजे और जमे हुए फल और सब्जियां और उनकी तैयारी, चटनी, अचार, खीरा, बाजरा और इसके उत्पाद आदि।
- फोकस थीम इंटरनेशनल यर ऑफ मिलेट होगा।

II ब्रांडिंग

- आयोजकों के दिशानिर्देशों के अनुसार बैकलिट ब्रांडिंग और एपीडा के भारतीय पवेलियन की अधिकतम ऊंचाई से दृश्यता।
- एपीडा पवेलियन का समग्र स्वरूप समकालीन होना चाहिए और आधुनिक भारत के रंग और जीवंतता को प्रतिबिंबित करना चाहिए। अलग-अलग अक्षरों में भारत की उपयुक्त बैकलिट ब्रांडिंग पर्याप्त रूप से न्यूनतम 3 मीटर लंबाई में की जानी चाहिए और इसका सभी जगह पालन किया जाना चाहिए।
- जेनेरिक ब्रांडिंग स्ट्रेचेबल लाइक्रा या फ्लेक्स पर होगी ताकि फाइनल गेट अप में रिंकल्स न पड़ें। सामान्य ब्रांडिंग बैनरों में चमकदार-सफेद लाइट होगी।
- 200 पेनड्राइव में निर्देशिका एपीडा ब्रोशर, रेसिपी बुक और प्रदर्शक का निर्माण और तैयारी।
- एपीडा ब्रोशर और प्रदर्शक निर्देशिका (अंग्रेजी और रूसी) की डिजाइनिंग और प्रिंटिंग - 200 प्रत्येक नग।
- प्रतिदिन भारतीय पवेलियन के कार्यक्रमों की वीडियो क्लिप तैयार करना और एपीडा की मंजूरी लेने के बाद उसे यूट्यूब , ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर अपलोड करना।
- भारत की G-20 अध्यक्षता का लोगो एपीडा पवेलियन में दिखाई देना चाहिए।

III प्रदर्शक स्टाल:

- **सभी व्यक्तिगत स्टॉल लकड़ी के होने चाहिए ,** और इंडिया ब्रांडिंग पूरे क्षेत्र में आयोजकों द्वारा अनुमत ऊंचाई तक होनी चाहिए और एक आधुनिक समकालीन लुक देना चाहिए।
- निर्यातकों के लिए फर्नीचर की आवश्यकता सहित खरीदारों/आगंतुकों के साथ बातचीत के लिए अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एपीडा पवेलियन में 6 वर्ग मीटर क्षेत्र वाले अधिकतम स्टालों का निर्माण। हालांकि ये सांकेतिक आंकड़े हैं , लेआउट की योजना इस तरह बनाई जा सकती है कि अधिकतम 6 वर्ग मीटर हों।

स्टाल और स्थान का इष्टतम उपयोग किया जाता है।

- निर्यातकों के लिए 6 वर्गमीटर के प्रत्येक स्टाल को उनके आकार के अनुसार निम्नलिखित फर्नीचर और मल्टीपल से लेकर बड़े स्टॉल उपलब्ध कराए जाएंगे:

  क. बैकलिट व्यक्तिगत बोर्ड,

  ख. तीन कुर्सियों के साथ एक गोल मेज,

  ग. एक अपशिष्ट कागज की टोकरी,

  घ. 6 प्रदर्शन अलमारियां,

  ङ. मल्टिप्लग के साथ एक पावर प्वाइंट

  च. स्टाल में नया कालीन

  छ. फ्रंट लिट पोस्टर के साथ स्टोरेज के साथ एक लॉकेबल काउंटर (आभूषण शोकेस)

  ज. 100 वाट की 6 लाइट या प्रत्येक की आवश्यकता आधारित पर्याप्त प्रकाशयुक्त।

  झ. आवश्यकता और एपीडा के विवेक पर स्टॉल क्षेत्र भी बदला जा सकता है।

- प्रत्येक 12/9 वर्ग मीटर स्टाल के लिए कुल 18 वर्ग फुट पर 3' X 6' वर्ग फुट के आकार और संबंधित प्रदर्शकों से व्यवस्थित किए जाने वाले टीपी/डिजाइन के अनुसार उसके गुणकों में 3 पैनल पोस्टर तैयार करना। एजेंसी द्वारा तैयार और मुद्रित पैनल और पोस्टर आयाम में समान होंगे और मुद्रण गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर के होंगे।

IV अन्य गतिविधियां:

- शो के दौरान सभी दिनों के लिए भारतीय वेशभूषा में 2 परिचारिका सह दुभाषियों और 2 परिचारकों का प्रावधान।
- श्री अन्न (मिलेट्स) आधारित उत्पादों के गीले नमूने के लिए , श्री अन्न (मिलेट्स) आधारित व्यंजनों की तैयारी और परोसने के लिए एक भारतीय रेस्तरां की पहचान की जानी चाहिए। पहचाने गए रेस्तरां को श्री अन्न (मिलेट्स) आधारित व्यंजन तैयार करने, अपनी क्रॉकरी में प्रदर्शनी स्थल पर परिवहन और वितरण करने , परोसने के लिए

परिचारकों और आवश्यक परोसने वाली सामग्री जैसे डिस्पोजेबल प्लेट , नैपकिन और चम्मच आदि की आपूर्ति करने के लिए कहा जा सकता है।

- विक्रेता वीआईपी यात्राओं के लिए उद्घाटन के दिन 5 गुलदस्ते की व्यवस्था करेगा और एपीडा के निर्देशानुसार उनके लिए जलपान की व्यवस्था करेगा।
- एजेंसी को एपीडा की ओर से अनुमानित बिजली भार और बुक का आकलन करना होगा। सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर उसके शुल्क और बिजली की खपत का वास्तविक भुगतान किया जाएगा।
- प्रत्येक दिन की शुरुआत से पहले रखरखाव, उचित और नियमित सफाई और दोनों हॉलों में एपीडा पवेलियन की अग्नि सुरक्षा के साथ भूनिर्माण का कार्य करना।
- गणमान्य व्यक्तियों के लिए स्मृति चिन्हों की व्यवस्था करना (लगभग 20 और सीमा रु. 2500/- प्रत्येक) एपीडा द्वारा अनुमोदित किया जाए।
- डीवीडी प्लेयर/पेन ड्राइव के साथ 60 इंच की एक एलईडी वॉल का प्रावधान।
- पूरे कार्यक्रम के लिए उच्च रिज़ॉल्यूशन वाली स्टिल फोटोग्राफी और मैट फिनिश के साथ 5x7 आकार की कम से कम 150 तस्वीरों वाले 2 एल्बम जमा करना।
- सभी दिनों के लिए आगंतुकों (दूतावास के अधिकारियों , अन्य गणमान्य व्यक्तियों आदि) के लिए पीने के पानी, चाय, कॉफी, शीतल पेय और नाश्ते की व्यवस्था।
- आवश्यकता के अनुसार प्रचार सामग्री/कृषि उत्पादों का प्रेषण - **वास्तविक आंकड़ों पर**
- संपूर्ण एपीडा पवेलियन की सफाई और रखरखाव।
- व्यावसायिक कार्यालय की आवश्यकताओं जैसे मुद्रण , फोटोकॉपी, इंटरनेट का प्रावधान आदि को एपीडा के निर्देशानुसार आवश्यकता के आधार पर एजेंसी द्वारा व्यवस्थित किया जाए।

4. सामान्य:

- चयनित बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि पवेलियन के निर्माण और रखरखाव और अंत तक आयोजन के समन्वय के लिए साइट पर उपयुक्त श्रमशक्ति मौजूद है। चयनित बोलीदाता आयोजन के अंत तक आयोजकों के सभी लागू बिलों का निपटान करेगा।
- बिजली की आपूर्ति और मुख्य विद्युत कनेक्शन, जलापूर्ति और अन्य समर्थन प्रणाली आदि कार्यक्रम आयोजकों की अनुशंसाओं के अनुसार उपलब्ध होंगे।

तद्नुसार, उपरोक्त प्रावधानों की चयनित बोलीदाता द्वारा जाँच किए जाने की आवश्यकता होगी।

- वेंडर द्वारा प्रदान किए गए सभी कर्मचारियों के लिए बैज की व्यवस्था|
- यदि इन सेवाओं का लाभ उठाया जाता है, तो एजेंसी को स्थान खाली करने से पहले स्थल प्राधिकरण और/या अन्य वेंडर, यदि कोई हो, के सभी बिलों का निपटान करना होगा।
- एजेंसी किसी भी शिकायत/आकस्मिक स्थिति के लिए पूरे शो में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित तकनीकी श्रमशक्ति (डेकोरेटर, इलेक्ट्रिकल, सिविल) की उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि भारतीय पवेलियन के लिए खरीदी जाने वाली वस्तुओं की किसी भी तत्काल आवश्यकता को डाउनटाइम से बचने/न्यूनतम करने के लिए कम से कम समय में उपलब्ध कराया जाए।
- एजेंसी को विदेश जहाँ व्यापार मेला/प्रदर्शनी आयोजित की जाती है, की सभी सांविधिक आवश्यकताओं जैसे श्रमिकों के मुआवजे, पे रोल टैक्स इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट आदि को पूरा करना होगा। एजेंसी को संबंधित देश के कानूनों के अनुसार उनके द्वारा नियुक्त सभी कर्मियों के संबंध में कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रक्रिया/प्रणाली का पालन करना अपेक्षित है।
- एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि **अनाहिम (यूएसए)** में स्थल प्राधिकरणों/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित सभी मंजूरी/एनओसी/अनुमति निष्पक्ष प्राधिकरण की संतुष्टि के बाद प्राप्त की गई हैं।

5. नियम एवं शर्तें

5.1 एपीडा के दिशा-निर्देशों एवं मार्गदर्शन में अनुमोदित बोलीदाता कार्य करेगा। यह सुनिश्चित करना एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि एपीडा के लिए उनके द्वारा की गई सभी गतिविधियां कानूनी ढांचे के अनुसार हों।

5.2 बोली मूल्य सभी लागू करों सहित केवल भारतीय रुपए में कोट की जाएंगी।

5.3 इच्छुक पात्र एजेंसियां नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 1,00,000/- रु. (एक लाख रुपये मात्र) की बयाना जमा राशि (ईएमडी) सहित सहायक दस्तावेजों के साथ अनुलग्नक- I और II के अनुसार अपनी बोलियां जमा कर सकती हैं। असफल बोलीदाता को विक्रेता के चयन के बाद

ईएमडी वापस कर दी जाएगी। चयनित बोलीदाता के लिए, ईएमडी राशि अंतिम भुगतान में समायोजित की जाएगी।

5.4 एजेंसी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उनके द्वारा किराए पर लिए गए श्रमशक्ति के संबंध में स्थानीय कानूनों की प्रयोज्यता सुनिश्चित करे।

5.5 एजेंसी को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा बोली दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित है। बोली की वैधता बोली जमा करने के अंतिम दिन से 30 दिनों के लिए होगी।

5.6 एपीडा की आवश्यकता है कि इस अनुबंध के तहत बोलीदाता समझौते की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करें और किसी भी सतर्कता जांच से मुक्त रहे। बोलीदाताओं को एपीडा को निविदा दस्तावेज तैयार करने और जमा करने से जुड़ी लागत को वहन करना होगा।

5.7 एपीडा कार्य प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित किया जाता है कि प्रस्ताव के लिए अनुशंसित एजेंसी अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है।

5.8 एपीडा किसी आवेदक/बोलीदाता को या तो अनिश्चित अवधि या निश्चित अवधि के लिए अनुबंध/अनुबंधों को सौंपने के लिए अयोग्य घोषित करेगा, यदि यह किसी भी समय निर्धारित करता है कि आवेदक/बोलीदाता अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है।

5.9 एजेंसी एपीडा को किसी भी दावे, हानि, मुकदमे, देयता के लिए हानिरहित क्षतिपूर्ति करेगी।

5.10 एजेंसी एपीडा द्वारा अनुमोदित रंग के अनुसार पवेलियन के अंदर नई और गुणवत्तापूर्ण कालीन उपलब्ध कराएगी।

5.11 एजेंसी द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे वॉल पैनल, फर्नीचर, डिस्प्ले एड्स आदि अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रस्तुत किए जाने वाले फर्नीचर की तस्वीरें प्रस्तुति के समय दिखाई और प्रस्तुत की जानी चाहिए।

5.12 एक स्व-प्रमाणित उपक्रम प्रस्तुत करना होगा जिसमें उल्लेख किया गया हो कि उन्हें किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है और यह आज की तारीख में लागू भी नहीं है।

5.13 संबंधित प्रदर्शकों से टीपी/डिजाइन के अनुसार व्यवस्था की जानी चाहिए। समरूपता बनाए रखने के लिए एजेंसी द्वारा तैयार किए गए पैनल और पोस्टर आयामों में समान टेम्पलेट के साथ समान होंगे।

5.14 वेंडर को अंतिम भुगतान के निपटान से पहले एपीडा को पवेलियन के अंतिम डिजाइन, एपीडा के लिए तैयार पैनल की सॉफ्ट कॉपी (सीडीआर प्रारूप और पीडीएफ प्रारूप में) एपीडा की भागीदारी की रिपोर्ट के साथ आगंतुक के विवरण (खरीदार सूची और पूछताछ) के साथ एपीडा को जमा करनी होगी। इसे एपीडा की संपत्ति माना जाएगा।

5.15 एपीडा के पास निम्न अधिकार सुरक्षित है:

- पवेलियन एवं ग्राफिक्स के डिजाइन का कॉपी राइट।
- डिजाइन योजना या थीम क्षेत्र के आकार में मामूली बदलाव।
- अपने विवेक से आवेदनों/बोली दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा बढ़ाना।
- बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर किसी भी दायित्व के बिना, अनुबंध/आदेश देने से पहले किसी भी समय किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना।
- परियोजना को स्थगित करना, चयनित पार्टी के साथ अनुबंध को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी भी समय रद्द करना यदि एपीडा की राय में यह जनहित में आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। एपीडा उपरोक्त कार्रवाई से हुई या उत्पन्न किसी भी क्षति या हानि के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा।
- अनुबंध के नियमों और शर्तों को संशोधित करना जो सफल बोलीदाता को बोली प्रक्रिया के बाद प्रदान किया जाएगा, यदि एपीडा की राय में, सार्वजनिक हित में या परियोजना के उचित कार्यान्वयन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

5.16 इस दस्तावेज़ के किसी भी खंड की व्याख्या के लिए, अध्यक्ष एपीडा का निर्णय दोनों पक्षों अर्थात एजेंसी एवं एपीडा के लिए बाध्यकारी होगा।

6. तकनीकी और वित्तीय बोलियां जमा करने के लिए दिशानिर्देश

अलग-अलग लिफाफों में मुहरबंद तकनीकी और वित्तीय बोलियों को कार्यक्रम के नाम अर्थात, दिनांक 16 अगस्त, 2023 को 5.30 बजे तक लिफाफे में मॉस्को, रूस में दिनांक 19-22 सितम्बर, 2023 तक वर्ल्ड फूड मॉस्को - 2023 का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। बोलीदाता कृपया ध्यान दें कि सशर्त बोलियों की अनुमति नहीं है और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। बोली पूर्व बैठक दिनांक 10 अगस्त 2023 को सुबह 11.00 बजे एपीडा, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।

कवर 1:
तकनीकी बोली:
निम्नलिखित दस्तावेजों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का नाम और "तकनीकी बोली" लिखें:

(अनुलग्नक 'I')

एजेंसी का नाम	
पता	
मुख्य कार्यकारी का नाम व पदनाम	
संबंधित व्यक्ति का नाम, पदनाम और संपर्क विवरण	
पेरोल पर कर्मचारियों की संख्या सहित एजेंसी की प्रोफ़ाइल	
ट्रैक रिकॉर्ड - समान प्रकृति के कार्य को संभालने का पिछला अनुभव (कृपया यहां उल्लेख करें)। कंपनी के पास पिछले पांच वर्षों के कार्य आदेशों की प्रतियों के साथ देश के बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों पवेलियन (विज्ञापन और मुद्रण को छोड़कर) में इवेंट मैनेजमेंट में **3 वर्ष का कार्य अनुभव** होना चाहिए।	
पिछले 5 वित्तीय वर्षों के लिए आवेदक बोलीदाता के	

टर्नओवर को प्रमाणित करने वाला सीए प्रमाणपत्र। टर्नओवर केवल आवेदक संगठन के नाम पर होना चाहिए न कि समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर।	
पिछले 5 वर्षों के नवीनतम आयकर रिटर्न की स्व प्रमाणित प्रति और पैन कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति। ये दस्तावेज केवल आवेदक संगठन के नाम पर होने चाहिए न कि समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर। दूसरे शब्दों में, प्रस्तुत सभी दस्तावेजों में आवेदक संगठन का नाम समान होना चाहिए।	
एपीडा, नई दिल्ली के पक्ष में ड्राफ्ट/अप्रतिसंहरणीय और सशर्त बैंक गारंटी के रूप में 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) के लिए ब्याज मुक्त बयाना जमा "ईएमडी"। अंतिम चयन के बाद असफल बोलीदाता को ईएमडी वापस कर दी जाएगी। चयनित बोलीदाता के लिए, ईएमडी राशि अंतिम भुगतान में समायोजित की जाएगी।	
एक स्व-प्रमाणित उपक्रम प्रस्तुत करना होगा जिसमें उल्लेख किया गया हो कि उन्हें किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है और यह आज की तारीख में लागू नहीं है।	

पवेलियन के कॉन्सेप्ट /डिजाइन के साथ लेआउट, सजावट योजना आदि जैसा कि ऊपर बताया गया है, हार्ड कॉपी के साथ-साथ सीडी/पेनड्राईव पर भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एजेंसी को एपीडा पवेलियन (हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों) की 3डी ईमेजस/प्रेज़ेंटेशन प्रदान करनी चाहिए जो स्पष्ट रूप से विभिन्न एंगल्स से एपीडा पवेलियन के पूर्ण प्रक्षेपण को दर्शाती हो। इसमें पूर्ण डिस्प्ले एड्स और फर्नीचर के साथ 9 वर्ग मीटर के मानक बूथ का पूरा 3डी लुक भी दिखाना होगा। 3डी प्रेजेंटेशन में भी ग्राफिक्स आदि के बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए।

कवर 2:

वित्तीय बोली:

कार्यक्रम का नाम और "वित्तीय बोली" (अनुलग्नक II) लिखें

निम्नलिखित दस्तावेजों/विवरण को शामिल करना:

केवल भारतीय रुपये में प्रमुख घटकों के अलग-अलग ब्रेक-अप के साथ विधिवत दिनांकित वित्तीय बोली। एकमुश्त राशि पर विचार नहीं किया जाएगा।

क्र. सं.	**गतिविधियां**	**क्र. सं. 1 व 2 में गतिविधियों के लिए दर प्रति वर्ग मीटर**	**कुल रु. में**
1	उपरोक्त 3 (I) में उल्लिखित विवरणों को शामिल करते हुए प्रस्तुत योजना के अनुसार थीम/सामान्य क्षेत्र का निर्माण और साज-सज्जा।		
2	3(II) में उल्लिखित ब्रांडिंग के अलावा उपरोक्त 3(III) में उल्लिखित विवरणों को शामिल करते हुए प्रस्तुत योजना के अनुसार स्टालों का निर्माण और साज-सज्जा।		
3	3(II) में वर्णित ब्रांडिंग		
4	उपरोक्त 3(I) के अनुसार, कृषि उत्पादों और अन्य उत्पादों की वेट सैम्पलिंग।		
5	उपरोक्त 3 (IV) के विवरण के अनुसार अन्य गतिविधियां।		
	प्रयोज्य कर		
	कुल राशि		

7. चयन प्रक्रिया

एपीडा की एक समिति एजेंसियों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग करेगी और निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एजेंसियों को शॉर्टलिस्ट करेगी। शॉर्टलिस्ट की गई एजेंसियों को चयन समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति देनी होगी।

प्रस्तुतिकरण में निम्नलिखित क्षेत्रों पर सुझाव सामने आ सकते हैं:

क्र.सं.	**क्षेत्र**	**स्कोर/वेटेज**
1.	समग्र अवधारणा व डिज़ाइन	30
2.	फोटो, ग्राफिक्स, आकर्षक रंग योजना आदि के संयुक्त उपयोग द्वारा थीम क्षेत्र को खाद्य उत्पादों के एक ठोस स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण चित्रण।	20
3.	एपीडा को आवंटित फ्लोर क्षेत्र और स्थान के सर्वोत्तम उपयोग के अनुसार संरचना का उपयुक्त आयाम।	10
4.	**वित्त वर्ष 2022-23** हेतु कंपनी का टर्नओवर: अंकों का ब्रेकअप नीचे दिया गया है: न्यूनतम 5 करोड़ रु. – 2 अंक 5-10 करोड़ रु. – 3 अंक 10 करोड़ रु. से अधिक – 5 अंक	5
5.	समान प्रकृति के **अंतर्राष्ट्रीय स्तर** के पिछले कार्य। अंकों का ब्रेकअप नीचे दिया गया है: न्यूनतम 3 वर्ष – 2 अंक 3-10 वर्ष – 3 अंक 10 वर्ष से अधिक – 5 अंक	5

8. वित्तीय बोलियों को खोलना

सभी प्रस्तुतियों पर मार्किंग की जाएगी। तकनीकी प्रस्तुतियों में न्यूनतम 70% अंक (70 में से 49 अंक) प्राप्त करने वाले विक्रेताओं को शोर्ट लिस्ट किया जाएगा और केवल उनकी वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। वित्तीय बोली अधिकतम 30 अंकों की होगी। अंकन की गणना में निम्नलिखित विधि होगी:

एल1 = 30 अंक

एल2 = 30 एक्सएल 1 (एल1 द्वारा कोट की गई लागत)/एल2 (एल2 द्वारा कोट की गई लागत) एल3, एल4 आदि के समान। (पक्षों की संख्या के आधार पर)।

वित्तीय अंकों को प्राप्त करने के पश्चात तकनीकी व वित्तीय बोली को शामिल किया जाएगा और जिस बोलीदाता ने अधिक अंक स्कोर किए होंगे उसका चयन किया जाएगा।

चयन समिति बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर किसी भी दायित्व के बिना अनुबंध/आदेश देने से पहले किसी भी समय सभी बोलियों या किसी बोली को स्वीकार

करने या अस्वीकार करने, घोषणा को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है। एपीडा के पास कीमतों को कम करने या अधिक सुविधाएं जोड़ने के लिए चयनित बोलीदाताओं के साथ कीमतों पर वार्तालाप करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

9. अपरिहार्य घटना

यदि किसी भी समय, इस अनुबंध की निरंतरता के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा, इसके तहत किसी भी दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य-निष्पादन, शत्रुता, या विरोध द्वारा, सार्वजनिक शत्रु के कार्य, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, राज्य या सांविधिक प्राधिकरण से निर्देश, एक्सप्लोज़न, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जैसा कि ठेकेदार के प्रतिष्ठानों और सुविधाओं तक सीमित नहीं है), आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं (इसके बाद घटना के रूप में संदर्भित), बशर्ते कि ऐसी किसी भी घटना के होने की सूचना उसके घटित होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर प्रभावित पक्ष द्वारा दूसरे को दी जाती है, इस तरह की घटना के कारण कोई भी पक्ष इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा, और न ही किसी भी पक्ष के पास इस प्रकार के गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में अन्य के विरुद्ध हानि के लिए ऐसा कोई दावा होगा, बशर्ते अनुबंध व्यावहारिक रूप से, ऐसी घटना के समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द फिर से शुरू हो जाए। अध्यक्ष, एपीडा का निर्णय कि क्या सेवा को फिर से शुरू किया जा सकता है (और समय सीमा जिसके भीतर सेवा फिर से शुरू की जा सकती है) अंतिम और निर्णायक होगा, बशर्ते कि यदि कार्य-निष्पादन पूर्ण या आंशिक रूप से इस अनुबंध के तहत दायित्व को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी किसी भी घटना के कारण रोका या विलंबित किया जाता है, कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

10. विवाचन

इससे उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामले भारतीय कानून द्वारा अधिशासित होंगे और केवल नई दिल्ली में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे। दोनों पक्ष सुलह के माध्यम से किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके संबंध में अनसुलझे समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद या मतभेद की स्थिति में (मामलों को छोड़कर, निर्णय जो विशेष रूप से इस समझौते के तहत प्रदान किया गया है) उक्त को अध्यक्ष, एपीडा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा और दिया गया निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान दोनों पक्षों पर लागू होंगे। मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान एपीडा कार्यालय या अध्यक्ष, एपीडा द्वारा निर्धारित किया

गया कोई अन्य स्थान होगा। पूर्वोक्त किसी भी संदर्भ पर, कार्य हेतु कार्यवाही में लागत और आकस्मिक खर्चों का आकलन अध्यक्ष, एपीडा के विवेक पर होगा।

11. भुगतान की शर्तें

सफल एजेंसी को भुगतान निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार किया जाएगा:

11.1 व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर या समान राशि की बैंक गारंटी के एवज में कुल लागत के 50% तक का अग्रिम।

11.2 कार्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी (अधिकारियों) की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने के अनुसरण में कार्यक्रम के पूरा होने पर शेष राशि जारी की जाएगी।

एजेंसी को सामग्री और प्रस्तुति से जुड़ी सभी लागतों को वहन करना होगा।

12. बोलियां प्रस्तुत करना

बोलीदाता द्वारा निम्नलिखित प्रकार से एक मुहरबंद लिफाफे में सहायक दस्तावेजों के साथ बोली जमा की जाएगी:

लिफाफा I : ईएमडी- नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये मात्र) के डीडी के रूप में बयाना राशि।

लिफाफा II : सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ अनुलग्नक I (तकनीकी बोली)। लिफाफे को सील और "दिनांक 19 से 22 सितम्बर, 2023 तक आयोजित वर्ल्ड फूड मॉस्को - 2023 के दौरान एपीडा पवेलियन में तकनीकी बोली" के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए।

लिफाफा III : निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों व लेआउट योजना के अनुसार एपीडा पवेलियन की पूरी परियोजना के लिए सभी करों सहित भारतीय रुपये में बोली मूल्य के लिए विधिवत भरा हुआ अनुलग्नक-II (वित्तीय बोली)। लिफाफे को सील और "दिनांक 19 से 22 सितम्बर, 2023 तक आयोजित वर्ल्ड फूड मॉस्को - 2023 के दौरान एपीडा पवेलियन में वित्तीय बोली" चिह्नित किया जाना चाहिए।

लिफाफा - IV : लिफाफा I, II और III को लिफाफा - IV के अंदर रखा जाना चाहिए और फिर से सील कर दिया जाना चाहिए। लिफाफों (I, II, III और IV) पर बोलीदाता का नाम स्पष्ट रूप से पूरे पते, दूरभाष: संख्या, ई-मेल के साथ लिखा जाना चाहिए। इस मास्टर लिफाफे (लिफाफा - IV) को “दिनांक 19 से 22 सितम्बर, 2023 तक आयोजित वर्ल्ड फूड मॉस्को - 2023 के दौरान एपीडा पवेलियन के लिए तकनीकी बोली और वित्तीय बोली” के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और नीचे दिए गए पते पर निदेशक, एपीडा को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

13. कार्य-निष्पादकता आश्वासन

यदि एजेंसी की कार्य-निष्पादकता कसौटी पर खरा नहीं उतरता है या किसी भी प्रकार की कमी रह जाती है/कार्य -क्षेत्र में औसत दर्जे से कम आउटपुट दिया जाता है तो अंतिम भुगतान के समय एपीडा द्वारा कुल बोली मूल्य का एक हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम होगा।

बोली जमा करने की अंतिम तिथि **16 अगस्त**, **2023 को 5.30 बजे** तक है।

संपूर्ण आवेदन पत्र इस पते पर भेजे जाने चाहिए:

सचिव
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास
प्राधिकरण(एपीडा)
तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3,
सीरी सांस्थानिक क्षेत्र,
खेल गांव के सामने,
अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली– 110 016